

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)

क्रमांक एफ 60(10)ग्रा.वि/नरेगा/लोकपाल/2010-11 जयपुर दिनांक ५/10/2010

आदेश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन से संबंधित अभाव अभियोग निराकरण के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 07.09.2009 में वर्णित लोकपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया के अनुसरण में राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा पर निम्नांकित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने अंकित जिले के लिए कार्य ग्रहण करने की तिथि से लोकपाल नियुक्त किया जाता है।

क्र.	नाम मय पता	जन्म दिनांक	जिला
1.	श्री डी.आर. जोधावत सी 39, एम. डी. कॉलोनी नाका मदार, अजमेर	24.4.46	अजमेर
2.	श्री जगदीश पुरोहित भदादा बाग के पीछे भीलवाडा	05.07.48	भीलवाडा
3.	श्री आशुतोष गुप्ता डी 704 मालवीय नगर, जयपुर	19.07.47	चित्तौड़गढ़
4.	श्री जयन्ती लाल मोदी ए 11 नित्यान्द नगर, जयपुर	27.12.47	जयपुर
5.	श्री रामचन्द्र 196 कृष्ण मन्दिर की गली भगत की कोठी, जोधपुर	02.03.47	पाली
6.	श्री के.एन. गुप्ता मुनीम सदन 32/25 मानसरोवर, जयपुर	01.07.47	सवाई माधोपुर
7.	श्री युनिस अली खान 121 बसन्त बिहार, सीकर	03.02.49	सीकर
8.	श्री बृजमोहन दीक्षित 58 अम्बुजा जे.टी. नगर, हिरणी मगरी, उदयपुर	17.04.46	उदयपुर

यह नियुक्ति, 2 वर्ष की अवधि जो एक वर्ष तक, प्रदर्शन के मुल्यांकन के आधार पर बढ़ाई जा सकती है अथवा 65 वर्ष तक की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए की जाती है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के आदेश दिनांक 07.09.2009 के बिन्दु संख्या 2.2.6 के अनुसार राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा पर, असंतोषजनक प्रदर्शन पर लोकपाल को राज्य सरकार द्वारा हटाया जा सकेगा।

लोकपाल हेतु सेवा संबंधी अन्य शर्तें ग्रामीण विकास मंत्रालय के आदेश दिनांक 07.09.2009 एवं राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अधीन होगी।

नियुक्त व्यक्तियों को अपनी उपस्थिति आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (महात्मा गांधी नरेगा) को देनी होगी।

4/10/10  
(तन्मय कुमार)

सचिव व आयुक्त ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान ।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान ।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान ।
5. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (नरेगा) ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली ।
6. श्रीमती अरुणा राय, द्वारा मजदूर किसान शक्ति संगठन, देव डूंगरी, पोस्ट बरार, जिला राजसमंद ।
7. निजी सचिव, सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस, जयपुर ।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक ।
2. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ।
3. संबंधित श्री .....
4. जन सम्पर्क अधिकारी, ईजीएस, जयपुर ।
5. मुख्य लेखाधिकारी, ईजीएस, शासन सचिवालय, जयपुर ।
6. कार्यालय प्रति ।

4/10/10  
अतिरिक्त आयुक्त प्रथम ईजीएस